

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 58/2023

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. संजय पुत्र दीपचंद जाति जैन निवासी  
नाहटो की गली, बाड़मेर (मैसर्स दिपक  
ट्रेडर्स, ढाणी बाजार बाड़मेर का  
विक्रेता)
2. दीपचंद पुत्र हेमाराम जाति जैन  
निवासी नाहटो की गली, बाड़मेर  
(मैसर्स दिपक ट्रेडर्स, ढाणी बाजार  
बाड़मेर का मालिक)
3. मीनाक्षी पत्नी तेजमल निवासी  
कल्याणपुरा मार्ग नंबर 02, बाड़मेर  
(फर्म मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, कृषि  
उपज मण्डी, बाड़मेर की मालिक)
4. कल्पेश भाई फूल भाई थूमर निवासी  
फ्लेट नंबर बी/1002 इडन हिल्स,  
मोटा वर्चा, पेदर रोड़, सुरत (फर्म मैसर्स  
विश्वा फूड प्रोडक्ट, प्लोट नंबर 20 से  
23, प्रथम इण्डिस्ट्रियल एस्टेट, हथोडा,  
मंगरोल, सुरत फर्म का प्रोप्राईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 58 खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा  
(2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,  
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान  
मैसर्स दिपक ट्रेडर्स, ढाणी बाजार बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 08.07.2024 को खाद्य  
पदार्थ घी ब्राण्ड गोमैत्री (500 एमएल जार (455 ग्राम) मूल जार पैकेट) जहाँ 100 पैकेट



दुकान की एक रैक में रखे हुये थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 एमएल के चार पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2201 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोमैत्री (500 एमएल जार (455 ग्राम) मूल जार पैकेट) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड प्रसंग (500 एमएल मूल पैकेट) का नमूना अवमानक (Substandard) एवं प्रतिबंधित स्तर का पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/ऐतराज प्रकट नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रकरण में की गई एकपक्षीय कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उचित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को किसी भी स्थिति में माल को सीज करने का विधिसम्मत अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि सीजशुदा माल के नमूना को सीलबन्द हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में विप्रार्थीगण के विरुद्ध मामला खारिज योग्य है। कम्पनी द्वारा सरकार के समस्त नियमों एवं अनुदेशों की पालना करने के बाद ही उक्त घी का निर्माण किया जाता है तथा विक्रय हेतु अधिकृत होने पर ही बेचान हेतु भिजवाया जाता है। इस प्रकार विप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक एवं कॉन्ट्राविन रेग्यूलेशन पाया गया। प्रयोगशाला जांच में Test for foreign fat का मानक स्तर Foreign fat absent के मुकाबले foreign fat present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रकरण



में की गई एकपक्षीय कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उचित नहीं है एवं सीजशुदा माल के नमूना को सीलबन्द हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में विप्रार्थीगण के विरुद्ध मामला खारिज योग्य है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक एवं कॉन्ट्राविन रेग्यूलेशन पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 तथा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/-, अप्रार्थी संख्या 3 पर रूपये 75,000/- एवं अप्रार्थी संख्या 4 पर रूपये 2,50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह चण्डावले)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर